

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प.9 (16)गृह-5/2020

जयपुर, दिनांक 13.05.2020

आदेश

राज्य में कोविड-19 का प्रकोप होने के कारण गृह विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13.05.2020 के तहत राज्य में हाल ही आये हुए अथवा आने वाले प्रवासियों के लिए राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज ऑर्डिनैस, 2020 के अन्तर्गत अनिवार्य क्वारनटीन करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

वर्तमान परिस्थितियों अनुसार राज्य में होम क्वारनटीन व्यवस्था को सूचारु रूप से क्रियान्वित करना अति आवश्यक है। अतः इसको दृष्टिगत रखते हुए निम्न समितियां गठित की जाती हैं :-

राज्य स्तरीय क्वारनटीन प्रबन्धन समिति

1.	श्रीमती वीनू गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग	अध्यक्ष
2.	श्री अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं आयोजना	
	होम क्वारनटीन व्यवस्था (डिजीटल)	राज्य प्रभारी
	(क) रजिस्ट्रेशन एवं होम क्वारनटीन के आदेश	
	(ख) ऑनलाईन/डिजीटल समीक्षा/निगरानी -CQAS एवं राज कोविड इन्फो	
	(ग) क्वारनटीन का उल्लंघन (डिजीटल)	
3.	श्री अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	
	होम क्वारनटीन सिस्टम की स्थानीय व्यवस्था	राज्य प्रभारी
	(क) सुनिश्चित करना कि स्थानीय स्तर पर समस्त क्वारनटीन प्रबंधन समितियां, स्थानीय निवासियों (resident committees) एवं समीक्षा व्यवस्था स्थापित है एवं सूचारु रूप से क्रियान्विष्ट हैं।	
	(ख) सामुदायिक चेतना	
	(ग) आगमन/पंजीकरण आंकड़ों का मिलान	
	(घ) होम क्वारनटीन उल्लंघन करने वालों को क्वारनटीन सेन्टर में भेजना/अन्य कार्यवाही	
4.	श्री राजेश्वर सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	
	ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम/पंचायत स्तर पर क्वारनटीन केन्द्र स्थापित करना एवं प्रबन्धकीय व्यवस्था	राज्य प्रभारी
5.	श्री भास्कर ए. सावंत, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास	
	शहरी क्षेत्र के क्वारनटीन केन्द्र	राज्य प्रभारी
6.	श्री पी.के. गोयल, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राज. राज्य भण्डारण निगम	
	कोविड केयर सेन्टर (ब्लॉक/शहर/जिला मुख्यालय स्तर)	राज्य प्रभारी
7.	श्री के.के. पाठक, सचिव, महिला अधिकारिता विभाग	सह प्रभारी

उक्त समिति जिलों में प्रवासियों के आगमन/रजिस्ट्रेशन एवं क्वारनटीन प्रबन्धन व्यवस्था की समीक्षा कर निर्धारित प्रपत्र में राज्य स्तरीय दैनिक समीक्षा रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह को प्रस्तुत करेगी। उक्त रिपोर्ट में उच्चतम स्तर पर विचारणीय बिन्दुओं का स्पष्ट उल्लेख होगा।

उपरोक्त समिति चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेश दिनांक 12 मई, 2020 के अतिक्रमण में है।

जिला स्तरीय क्वारनटीन प्रबन्धन समिति

1.	जिला कलेक्टर	—	अध्यक्ष
2.	क्षेत्रीय सांसद(लोकसभा/राज्यसभा)	—	सदस्य
3.	जिले के विधायकगण	—	सदस्य
4.	जिला पुलिस अधीक्षक	—	सदस्य
5.	मुख्य कार्यकारी, जिला परिषद	—	समन्वयक
6.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	—	सदस्य
7.	प्रधान चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय	—	सदस्य
8.	जिला रसद अधिकारी	—	सदस्य
9.	आयुक्त, नगर परिषद	—	सदस्य
10.	अधिशोषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग	—	सदस्य
11.	जिला शिक्षा अधिकारी	—	सदस्य
12.	जिला कलेक्टर द्वारा नामित अन्य अधिकारी/ जन प्रतिनिधि	—	सदस्य

 जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में समन्वयक द्वारा समिति की बैठक की अध्यक्षता की जायेगी।

उक्त समिति निम्न कार्य करेगी :-

1. जिला/ब्लॉक स्तर पर Covid Care Centre चिन्हित कर स्थापित करना
2. जिला मुख्यालय पर Covid Care Centre की प्रबन्धकीय एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना
3. जिले के शेष Covid Care Centre की प्रबन्धकीय/सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा
4. जिले के Quarantine Centre की प्रबन्धकीय/सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा
5. जिले में प्रवासियों के आगमन, पंजीकरण, Screening एवं होम क्वारनटीन की समीक्षा
6. Home Quarantine/Quarantine केंद्र के उल्लंघन प्रकरणों में की गई कार्यवाही की समीक्षा
7. दैनिक आधार पर सूचना राज्य स्तर पर प्रेषित करना
8. राज्य स्तरीय समिति के अन्य निर्देशानुसार

उपखण्ड स्तरीय क्वारनटीन प्रबन्धन समिति

1.	उपखण्ड मजिस्ट्रेट	—	अध्यक्ष
2.	क्षेत्रीय विधायक	—	सदस्य
3.	पुलिस उप अधीक्षक	—	सदस्य
4.	विकास अधिकारी, पंचायत समिति	—	सदस्य
5.	तहसीलदार	—	सदस्य
6.	ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	—	सदस्य
7.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	—	सदस्य
8.	अधिशोषी अधिकारी, नगर पालिका	—	सदस्य
9.	प्रवर्तन अधिकारी/रसद	—	सदस्य
10.	जिला कलेक्टर/उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा नामित अन्य अधिकारी/जन प्रतिनिधि	—	सदस्य

उक्त समिति निम्न कार्य करेगी :-

1. ब्लॉक स्तर पर Covid Care Centre की स्थापना और उसकी प्रबंधकीय एवं सुरक्षा व्यवस्था
2. उपखण्ड में प्रवासियों के ग्राम/वार्ड स्तर पर आगमन अनुसार पंजीकरण व Screening व्यवस्था सुनिश्चित करना व गहन पर्यवेक्षण करना
3. प्रत्येक गाँव/मोहल्ले आदि स्तर पर स्थानीय निवासियों की समिति क्रियान्वीत होने की समीक्षा
4. ग्राम/पंचायत स्तर पर स्थापित Quarantine केन्द्रों की व्यवस्था की निरन्तर समीक्षा
5. होम क्वारनटीन की सुचारु व्यवस्था की समीक्षा
6. Home Quarantine/Quarantine केंद्रों में उल्लंघन प्रकरणों की समीक्षा
7. निर्धारित प्रपत्र में दैनिक सूचना जिला स्तर टीम (गृह विभाग के आदेश क्रमांक IT WAR ROOM/SPL-11 दिनांक 11.05.2020) को प्रस्तुत करना
8. जिला स्तरीय समिति के अन्य निर्देशानुसार

ग्राम पंचायत स्तरीय क्वारनटीन प्रबन्धन समिति

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी | — | संयोजक |
| 2. पटवारी | — | सह संयोजक |
| 3. सरपंच | — | सदस्य |
| 4. ग्राम विकास अधिकारी | — | सदस्य |
| 5. बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) | — | सदस्य |
| 6. बीट कानिस्टेबल | — | सदस्य |
| 7. ANM | — | सदस्य |
| 8. महिला पर्यवेक्षक/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता | — | सदस्य |
| 9. उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा नामित अन्य सरकारी कर्मचारी/जन प्रतिनिधि | — | सदस्य |

वार्ड स्तरीय क्वारनटीन प्रबन्धन समिति (नगरीय क्षेत्र)

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. बूथ लेवल अधिकारी (BLO) | — | संयोजक |
| 2. स्थानीय पार्षद | — | सदस्य |
| 3. सफाई निरीक्षक | — | सदस्य |
| 4. बीट कानिस्टेबल | — | सदस्य |
| 5. ANM/स्वास्थ्य कार्यकर्ता | — | सदस्य |
| 6. आशा सहयोगिनी | — | सदस्य |
| 7. उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा नामित अन्य सरकारी कर्मचारी/जन प्रतिनिधि | — | सदस्य |

उक्त ग्राम/वार्ड स्तर समितियां निम्न कार्य करेंगी :-

1. ग्राम/मोहल्ले स्तर पर स्थानीय निवासी की समिति गठित कर उसका सुचारु रूप से क्रियान्वीत होना सुनिश्चित करना
2. प्रत्येक प्रवासी, जिसका आगमन हुआ है, उसका पंजीकरण (फॉर्म-4) Screening एवं होम क्वारनटीन के आदेश जारी कर लागू कराना सुनिश्चित करना। इसका मुख्य दायित्व BLO का होगा
3. होम Quarantine व्यवस्था की गहन निगरानी व उल्लंघन करने वालों की सूचना SDM को तत्काल देना
4. स्थानीय व्यक्तियों/जन प्रतिनिधियों के सहयोग से Quarantine केंद्रों की सुचारु प्रबन्धकीय एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना। उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की सूचना तत्काल SDM को देना
5. दैनिक सूचना SDM को प्रस्तुत करना
6. SDM/उपखण्ड स्तरीय समिति के अन्य निर्देशों की पालना करना

प्रवासियों के पंजीकरण एवं क्वारनटीन की शेष व्यवस्था गृह विभाग द्वारा आवागमन आदि व्यवस्था सम्बन्धी जारी SOP दिनांक 11.05.2020 के बिन्दु संख्या 4 एवं 5 अनुसार यथावत रहेगी।


(डी.बी.गुप्ता)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राज. राज्य भण्डारण निगम
7. सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं आयोजना
8. प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
9. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास
10. सचिव, महिला अधिकारिता विभाग
11. उप सचिव, मुख्य सचिव
12. समस्त कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
13. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग


(पी.सी.बेरवाल)
विशिष्ट शासन सचिव, गृह